

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या—
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

भाग-2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम सं०

7	परियोजना/स्कीम का नाम	टोरेन्ट गैस प्राइवेट लि० द्वारा बडेवन चौराहा से कम्पनीबाग चौराहा और बरती रोडवेज से प्लास्टिक कॉम्पलेक्स में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु जिला-बरती (उ०प्र०) में प्रभावित संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य की अनुमति।
(i)	राज्य	उत्तर प्रदेश
(ii)	जिला	बरती
(iii)	वन प्रभाग	सामाजिक वानिकी वन प्रभाग बरती।
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे० में)	0.35805 हे०
(v)	वन की कानूनों की स्थिति	संरक्षित वन भूमि
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.2
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजना के संबंध में एफ०आर०एल० और एफ०आर०एल०-2 मीटर पर परिगणना और एफ०आर०एल० 4 मीटर भी संलग्न किया जाए।	प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाये जाने में कोई वृक्ष बाधक नहीं है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र का संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	कोई भूक्षरण नहीं होगा।
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित क्षेत्र मार्ग के किनारे का भाग है।
(x)	क्या फर्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्योरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणी अनुबंधित की जाए)	नहीं
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणीजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती हैं यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्योरा दें	नहीं
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरात्त्ववीय/पारस्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हो तो तत्सम्बन्धी ब्योरा सक्षम पाधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं
8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्योरो के साथ मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है।	अपिहार्य एवं न्यूनतम है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हो तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्योरा दे क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	लागू नहीं
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्योरा	
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र /अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	संलग्न है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवक्रमित वन क्षेत्र और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न है।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	संलग्न है।

(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	संलग्न है।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	संलग्न है।
11	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम-7 (xi,xii) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संयुक्त स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।
12	विभाग/जिला प्रोफाइल	
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	2688 वर्ग किमी०
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	1979.77 हे०
(iii)	प्रभाग में मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	मामलों की संख्या 14 अर्द्ध क्षेत्रफल 137.3718 हे० आरक्षित व संरक्षित वन भूमि में
(iv)	1980 में प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	
	(क) दण्ड वनीकरण सहित वन भूमि	176.19 हे०
	(ख) वनेतर भूमि पर	रिक्त
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	
	(क) वन भूमि पर	176.19 हे०/193787 पौध आरक्षित व संरक्षित वन भूमि पर
	(ख) वनेतर भूमि पर	11400 अर्द्ध ब्रिकगार्ड में रोपण
13	प्रस्ताव का स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विषय सिफारिश।	प्रस्ताव को स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

तिथि—
स्थान—बरती।

हस्ताक्षर—
नाम—

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
बरती